न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 16/2015 – आ0नि0

1. लादू पुत्र गोकल गाडरी निवासी अरनिया घौड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. किशन पुत्र गोपाल गाडरी निवासी अरनिया घौड़ा तहसील शाहपुरा
3. महावीर पुत्र रामदयाल खाती निवासी अरनिया घौडा तहसील शाहपुरा
4. नारायण पुत्र हजारी गाडरी निवासी अरनिया घौड़ा तहसील शाहपुरा
5. कल्याण पुत्र धूकल गाडरी निवासी अरनिया घौड़ा तहसील शाहपुरा
6. गोपाल सैन पुत्र मांगी लाल सेन निवासी अरनिया घौड़ा तहसील शाहपुरा
7. बंशी पुत्र मांगलाल गाडरी निवासी अरनिया घौड़ा तहसील शाहपुरा
8. धन्ना पुत्र देवकरण गाडरी निवासी अरनिया घौड़ा तहसील शाहपुरा
9. मोडू नायक पुत्र सुवा नायक निवासी अरनिया घौडा तहसील शाहपुरा
10. उदा पुत्र दोला गाडरी निवासी अरनिया घौड़ा तहसील शाहपुरा
11. उदा पुत्र मांगीलाल गाडरी निवासी अरनिया घौड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

बनाम

1. भूरानाथ पुत्र सूरजानाथ निवासी सरदारपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

–विपक्षीगण

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थित –

1. श्री शोभागमल कुमावत अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री रमेश चेचाणी अधिवक्ता – विपक्षी सं. 01 की ओर से

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

निर्णय

दिनांक 07.06.2018

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षीगण के विरूद्ध दिनांक 22.09.2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विपक्षी सं. 01 को ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा की आराजी नम्बर 342, 401 किता 02 रकबा 1.33 हैक्ट. भूमि का दिनांक 05.02.1986 को आवंटन

की गयी। जिसमें से आराजी नम्बर 401 रकबा 0.95 हैक्ट. भूमि उक्त दिनांक 05.02.1986 को गलत एवं अवैध तरीके से आवंटित की गयी जो नियम विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य हैं। विपक्षी सं. 01 ग्राम शाहपुरा का न तो रहने वाला है और न ही भूमिहीन सद्भावी काश्तकार है, न ही कृषि कार्य करता हैं, न लैण्ड लैस प्रश्न ही है। उक्त आवंटनशुदा आराजियात में कभी भी विपक्षी सं. 01 ने काश्त नहीं की, न ही उक्त आराजियात पर विपक्षी सं.01 का कब्जा ही हैं। आराजी सं. 401 गांव वालों के चारागाह में जाने के लिए रास्ते के काम आती है। इसलिए यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि रास्ते की भूमि का कभी भी आवंटन कानूनन नही किया जा सकता है। आवंटनशुदा आराजियात सार्वजनिक उपयोग की है। आवंटन के लिए नियमानुसार प्रोकलोमेसन नहीं किया गया एवं पोषिदा तोर विपक्षी सं. 01 ने आवंटन उक्त आराजियात आवंटन करवा ली जो निरस्त होने योग्य हैं। उक्त आवंटनशुदा आराजियात वैकेटलैण्ड नही थी। विपक्षी के पास काफी सिंचित व असिंचित कृषि भूमि है। आवंटन मे कौरम नही था, न आवंटन ग्रामवासियों के समक्ष ही किया गया यानि कि आवंटन मजमे आम में नही हुआ व विपक्षी सं. 01 कई बार भूमि आवंटन करा चुका है व आवंटनशुदा आराजियात को विक्रय करता रहता है। उक्त आवंटनशुदा आराजियात पर कृषि हो ही नही सकती, क्योंकि उक्त आवंटनशुदा आराजियात में ग्राम आरनिया घौड़ा के मवेशी बैठते है व चारागाह भूमि में मवेशी चरते है एवं मवेशियों के चारागाह में जाने का रास्ता भी उक्त आवंटनशुदा आराजियात में से होकर जाता है, अन्य कोई भी रास्ता नहीं हैं। विपक्षी सं. 01 अभी भी गैर खातेदार है, खातेदारी हक इसलिए दर्ज नहीं हुआ कि विपक्षी सं. 01 ने उक्त आवंटनशुदा आराजी सं. 401 ग्राम शाहपुरा में कोई काश्त नही की थी, न ही वर्तमान में उक्त आराजियात पर काश्त की जा रही है। आलौच्य आवंटन करने मे आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन बाबत बने नियमों एवं उपनियम की कोई पालना न कर आलौच्य आवंटन किया हैं जो विधि विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य हैं। विपक्षी सं. 02 एरिया का लैण्ड होल्डर होने से औपचारिक पक्षकार बनाया गया हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी सं. 01 के पक्ष में ग्राम शाहपुरा की आराजी सं. 401 रकबा 0.95 हैक्ट. का किया गया आवंटन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दिनांक 05.10.2015 को इस न्यायालय में पंजीबद्व किया गया तथा विपक्षीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए तथा भू–आवंटन संबंधी रिकार्ड तलब किया गया। विपक्षी सं. 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी सं. 01 को ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा की आराजी नम्बर 342, 401 किता 02 रकबा 1.33 हैक्ट. भूमि का दिनांक 05.02.1986 को आवंटन की गयी। जिसमें से आराजी नम्बर 401 रकबा 0.95 हैक्ट. भूमि उक्त दिनांक 05.02.1986 को गलत एवं अवैध तरीके से आवंटित की गयी जो नियम विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य हैं। विपक्षी सं. 01 ग्राम शाहपुरा का न तो रहने वाला है और न ही भूमिहीन सद्भावी काश्तकार है, न ही कृषि कार्य करता हैं, न लैण्ड लैस प्रश्न ही है। उक्त आवंटनशुदा आराजियात में कभी भी विपक्षी सं. 01 ने काश्त नहीं की, न ही उक्त आराजियात पर विपक्षी सं.01 का कब्जा ही हैं। आराजी सं. 401 गांव वालों के चारागाह में जाने के लिए रास्ते के काम आती है। इसलिए यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि रास्ते

न्यायालय अति. जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)

की भूमि का कभी भी आवंटन कानूनन नही किया जा सकता है। आवंटनशुदा आराजियात सार्वजनिक उपयोग की है। आवंटन के लिए नियमानुसार प्रोकलोमेसन नहीं किया गया एवं पोषिदा तोर विपक्षी सं. 01 ने आवंटन उक्त आराजियात आवंटन करवा ली जो निरस्त होने योग्य हैं। उक्त आवंटनशुदा आराजियात वैकेटलैण्ड नही थी। विपक्षी के पास काफी सिंचित व असिंचित कृषि भूमि है। आवंटन मे कौरम नही था, न आवंटन ग्रामवासियों के समक्ष ही किया गया यानि कि आवंटन मजमे आम में नही हुआ व विपक्षी सं. 01 कई बार भूमि आवंटन करा चुका है व आवंटनशुदा आराजियात को विक्रय करता रहता है। उक्त आवंटनशुदा आराजियात पर कृषि हो ही नही सकती, क्योंकि उक्त आवंटनशुदा आराजियात में ग्राम आरनिया घौड़ा के मवेशी बैठते है व चारागाह भूमि में मवेशी चरते है एवं मवेशियों के चारागाह में जाने का रास्ता भी उक्त आवंटनशुदा आराजियात में से होकर जाता है, अन्य कोई भी रास्ता नहीं हैं। विपक्षी सं. 01 अभी भी गैर खातेदार है, खातेदारी हक इसलिए दर्ज नहीं हुआ कि विपक्षी सं. 01 ने उक्त आवंटनशुदा आराजी सं. 401 ग्राम शाहपुरा में कोई काश्त नही की थी, न ही वर्तमान में उक्त आराजियात पर काश्त की जा रही है। आलौच्य आवंटन करने मे आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन बाबत बने नियमों एवं उपनियम की कोई पालना न कर आलौच्य आवंटन किया हैं जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य हैं। विपक्षी सं. 02 एरिया का लैण्ड होल्डर होने से औपचारिक पक्षकार बनाया गया हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी सं. 01 के पक्ष में ग्राम शाहपुरा की आराजी सं. 401 रकबा 0.95 हैक्ट. का किया गया आवंटन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

विपक्षी सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विधि में प्रतिनिधि की हैसियत से कोई भी कार्यवाही कराने के लिए आदेश 1 नियम 8 सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों की पालना करना आवश्यक होता है। प्रार्थीगण ने आदेश 1 नियम 8 सिविल प्रकिया संहिता के अनुसार उपरोक्त प्रकरण संस्थित नहीं किया है। प्रार्थीगण सभी ग्राम आरनिया घौडा के निवासी हैं, जिनके मकान व खेत ग्राम पंचायत आरनिया घौडा में स्थित हैं, जबकि विपक्षी सं. 01 को आवंटन ग्राम शाहपुरा में किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण को उपरोक्त प्रकरण का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई हेतुक व अधिकार नहीं हैं। विपक्षी सं. 01 के पक्ष में भूमि आवंटन की कार्यवाही विधि एवं नियमों के अनुरूप की गयी है। आवंटित भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध एवं उपयुक्त होने से ही पात्रता के आधार पर भूमि आवंटन की गयी हैं। विपक्षी सं.01 के पक्ष में किये गये आवंटन वाली भूमि किसी भी तरीके से सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि नही है एवं न रही है। ग्राम सरदारपुरा , ग्राम शाहपुरा की सीमा से लगा हुआ हैं व विपक्षी सं. 01 को आंवटित भूमि से लगी हुयी पूर्व में विपक्षी सं. 01 की पैतृक भूमि ग्राम शाहपुरा आराजी नम्बर 390 व 400 स्थित होकर विपक्षी सं. 01 के सद्भावी काश्तकार होने से उसे नियमानुसार भूमि आवंटित की गयी हैं। विपक्षी सं. 01 भूमि आवंटन के बाद भूमि में फसल काश्त कर रहा हैं। रास्ते की कोई भूमि विपक्षी को आवंटित नही की गयी। आवंटित भूमि किसी भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि नही हैं। गांव आरनिया घौडा के मवेशी उपरोक्त आवंटित भूमि में नहीं आते जाते हैं। विपक्षी सं. 01 ने किसी आवंटित भूमि को विक्रय नहीं किया हैं। भूमि आवंटन के बाद से ही मौके पर विपक्षी सं. 01 का कब्जा व काश्त निरन्तर चला आ रहा हैं। भूमि उद्घोषित किये बिना आवंटन संभव नहीं हैं। भूमि उद्घोषित होने के बाद ही विपक्षी सं. 01 के पक्ष में आवंटित की गयी हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थीगण की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर शीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर शीलवाड़ा (राज.)

प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

भू आवंटन नियम 1970 इस प्रकार है –

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 आवंटन की शर्तें –

1. आवंटी को काश्तकारी अधिनियम के अधीन गैर खातेदार काश्तकार के सभी अधिकार होगें ।

1. क – ऐसे मामले में जहां भूमि का आवंटन किसी विवाहित कृषक को किया जाये तो आवंटन पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम में किया जायेगा तथा ऐसे मामले में संयुक्त आंवटी के रूप में समझे जायेगें ।

2. लगान ,भूमि पर लागू स्वीकृत लगान दर से अथवा यदि आवेदित एवं आवंटित भूमि लगान के लिये लगान का निर्धारण नहीं हुआ हैं तो ग्राम में बारानी भूमि की निम्नतम श्रेणी पर लागू दर से और ग्राम की चाही या नहरी सिचिंत भूमियों के लिये यथास्थिति चाही या नहरी दर से , आवंटन के प्रथम वर्ष से देय होगा ।

3. आवंटी को भूमि काश्त के अधीन लानी होगी तथा वह उसका समुचित उपयोग करेगा ।

3. यदि आवंटन कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्व किया गया हो या यदि आवंटी ने आवंटन शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो तो उपखण्ड अधिकारी द्वारा या तहसीलदार द्वारा किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर रद्द करने की शक्ति कलक्टर को होगी ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। आवंटी ग्राम शाहपुरा का निवासी नही होकर ग्राम सरदारपुरा का निवासी है। आवंटी के नाम ग्राम सरदारपुरा में हिस्से में 1.15 हैक्ट. सिंचित एवं 1.08 हैक्ट. असिंचित भूमि है। आवंटी के पिता के नाम पर शाहपुरा में 8.08 भूमि दर्ज है। आवंटी के हिस्से में 1.14 बीघा भूमि आती है। आवंटी के नाम ग्राम शाहपुरा के आराजी नं. 7 में 5.05 बीघा भूमि भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 05.02.1986 को आवंटन किया गया। आवंटनशुदा भूमि का कब्जा दिनांक 13.04.1986 को पटवारी हल्का द्वारा दिया गया। आवंटी के नाम पर राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी से दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का शाहपुरा के नाम पर दिनांक 20.05.1986 को आदेश जारी किया गया एवं प्रपत्र 5 में खाली सिवाय चक आंवटन आदेश आंवटी के नाम दिनांक 20.05.1986 को जारी किया गया। ग्राम शाहपुरा के आराजी नं. 342 रकबा 0.3800 हैक्ट. व आराजी नं. 401 रकबा 0.9500 हैक्ट. कुल रकबा 1.3300 हैक्ट. भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 में भूरानाथ पुत्र सूरजनाथ सा. सरदारपुरा के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। ग्रामवासी अरनियाघोड़ा के शपथ पत्र अनुसार ग्राम अरनियाघोडा के चारागाह की आराजियात से आवंटित आराजी सं. 401 से मिली हुयी है। जो कि गांववालों के चारागाह मे जाने के लिये रास्ते मे काम आती है। इस प्रकार आराजी नं. 401 क्षैत्रफल 0.9500 हैक्ट. ग्राम अरनियाघोडा के मवेशियों के आने जाने हेतु रास्ते के उपयोग मे आ रही है। आवंटित भूमि सार्वजनिक उपयोग की है। आवंटित भूमि के तीन तरफ खातेदारी की भूमि है एवं एक तरफ चरागाह भूमि है। आवंटी ने आवंटित भूमि पर काश्त नहीं की है। ग्राम शाहपुरा के आराजी नं. 401 नगर पालिका शाहपुरा की पेराफेरी में स्थित है।

आवंटी विपक्षी सं. 01 ग्राम शाहपुरा का निवासी नही है। आवंटी कृषक नही है। आवंटी भूमिहीन नहीं है। विपक्षी सं 01 के नाम ग्राम शाहपुरा के आराजी नं. 401

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

रकबा 0.9500 हैक्ट. आवंटित भूमि में काश्त करने संबंधी विपक्षी सं. 01 द्वारा अपनी साक्ष्य में कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नही किया। अतः विपक्षी सं. 01 द्वारा आवंटित भूमि में काश्त किया जाना प्रमाणित नही होता है। प्रार्थी के दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार ग्राम शाहपुरा के आराजी नं. 401 रकबा 0.9500 हैक्ट. का सार्वजनिक उपयोग हो रहा है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत स्वीकार योग्य ठहरती हैं । अतएव–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 का स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी सं. 01 के नाम ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा के आराजी नं0 401 रकबा 0.9500 हैक्ट. भूमि पर किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार शाहपुरा आराजी नं0 401 रकबा 0.9500 हैक्ट. भूमि को राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज कर कब्जे सरकार लेवे। निर्णय की प्रति तहसीलदार शाहपुरा को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

07/06/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा